प्र.सं. .... / दावा / प्र.पत्र / ....

हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज

तारीख हुकम	
29/10/25	वकुला उप०/ बहस हेतु अवसर चाहा गया। पत्रावली को बहस दि. 27/11/25 को पेश हो। (हस्ताक्षर)
27/11/25	वकु० उप०/ बहस हेतु अवसर चाहा। पत्रा० वास्ते बहस दि० 11/12/25 को पेश हो। (हस्ताक्षर)
11/12/25	त्रावली पश हुइ अभिभाषक उभय पक्ष उपस्थित है। आज श्रीमान उपखण्ड अधिकारी राज्य कार्यवश बाहर दौर में तशरीफ रखते है। अन्य कार्य में व्यस्त है। अभिभाषकगण कन्डोलेन्स पर है। अत ावली साबिक कार्यवाही हेतु दिनांक 8/1/26 को पेश हो (हस्ताक्षर)
8/1/26	त्रावली पश हुइ अभिभाषक उभय पक्ष उपस्थित है। आज श्रीमा उपखण्ड अधिकारी राज्य कार्यवश बाहर दोर में तशरीफ रखते है। अन्य कार्य में व्यस्त है। अभिभाषकगण कन्डोलेन्स पर है। अत ावली साबिक कार्यवाही हेतु दिनांक 22/1/26 को पेश हो (हस्ताक्षर)
22/1/26	वकु० उप०/ बहस उभय पक्ष सुनी गई। पत्रावली वास्ते आदेश दि. 28/1/26 को पेश हो। (हस्ताक्षर)
28/1/26	वकु० उप०/ बहस उभयपक्ष पर मनन कर प्रार्थना पत्र प्रार्थी आंशिक रूप से स्वीकार कर प्रार्थी एवं अप्रार्थीगण को ता फैसला वाद अस्थायी निषेधाज्ञा पाबन्द किया। आदेश विस्तृत निर्णय पृथक से लिखा जाकर आज मि० किया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो/ बाद तामील तकमील नियमानुसार दाखिल दफ्तर हो। (हस्ताक्षर)

न्यायालय श्रीमान उपखण्ड अधिकारी महोदय ...

प्रार्थना पत्र संख्या / सन 2018

(1) ताहिरा पुत्री स्व.युसुफ उर्फ ...
बीगोद तहसील माण्डलगढ़ जिला ...

(2) मेहरून पुत्री स्व.युसुफ उर्फ ...
बीगोद तहसील माण्डलगढ़ ...

(3) शमीम पुत्री स्व.युसुफ उर्फ ...
बीगोद तहसील माण्डल...

(4) जायदा पुत्री स्व.युसुफ ...
बीगोद तहसील माण्...

(5) अब्दुल कययुम ...
ग्राम बीगोद त...

(6) सलीम पुत्र ...
बीगोद त...

(7) मोहम्मद ...
निवासी ...

(8) नूरज...
बीगो...

9/10/18

अपील अन्तर्गत धारा 75 भू–राजस्व अधिनियम,1956

उपस्थित– अपीलान्टस की ओर से श्री प्रदीप शर्मा, एडवोकेट।
रेस्पो.सं. 9 की ओर से पेरोकार सरकार।
रेस्पो.सं. 1 लगायत 8 के विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही।

निर्णय

यह अपील तहसीलदार तालेड़ा द्वारा पारित नामान्तरकरण संख्या 584 दिनांक 01.05.2008 ग्राम धनेश्वर से अप्रसन्न होकर अन्तर्गत धारा 75 भू राजस्व अधिनियम, 1956 इस न्यायालय में पेश की गयी है। अपीलाधीन नामान्तरकरण खातेदार भंवरलाल आ. श्रवण कुम्हार के फोत हो जाने पर उसके वारिसान् के नाम तस्दीक किया गया है।

अपील प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर कर रेस्पो. तथा अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब की गयी ।

बहस उपभ पक्षकारान् सुनी गयी ।

अभिभाषक अपीलांट ने बहस के दौरान अपील में अंकित तथ्यों पर प्रकाश डालते हुये तर्क प्रस्तुत किये कि भूमि खसरा संख्या 87 नवीन खसरा संख्या 1113/87 रकबा 15 बीघा वाके ग्राम धनेश्वर में स्थित है उक्त आराजी भंवरलाल आ. श्रवणलाल कौम कुम्हार निवासी धनेश्वर की गैर खातेदारी की भूमि थी। खातेदार भंवरलाल द्वारा उक्त कृषि भूमि अपीलान्टस 1 लगायत 7 के पिता व अपीलांट सं. 8 के पति इसब आ. दाउद जाति मुसलमान लुहार निवासी बीगोद जिला भीलवाडा को जर्ये रजिस्टर्ड विक्रय पत्र दिनांक 30.5.1981 को विक्रय प्रतिफल प्राप्त कर बेचान कर दिनांक 30.5.1981 को ही भूमि का कब्जा सम्भला दिया था, किन्तु अनभिज्ञता के कारण उक्त खरीदशुदा भूमि का नामान्तरकरण खरीददार अपने नाम पर तस्दीक नहीं करवा सके एवं जिस कारण उक्त भूमि खातेदार भंवरलाल द्वारा बेचान करने के बाद भी उनके ही खाते मे चलती रही एवं भूमि पर अपीलांटस के पिता व पति इसब उर्फ युसुफ एवं तत्पश्चात् अपीलांटस निरन्तर निर्बाध रूप से 34 वर्ष से काबिज काश्त करते रहे है। जमाबंदी में पूर्व खातेदार का नाम दर्ज रह जाने मात्र से ही खातेदार भंवरलाल आ. सरवण की मृत्यु होने के पश्चात् रेस्पोडेंटस ने यह जानते हुए भी कि उक्त भूमि उनके पिता द्वारा इसब आ. दाउद मुसलमान को बेचान की हुई है, इसके उपरान्त भी उक्त कृषि भूमि का नामान्तरकरण संख्या 584 दिनांक 1.5.08 गुपचुप तरीके से राजस्व कर्मचारियों से मिलीभगत करके स्वीकृत करवाकर अवैध रूप से तस्दीक करवा लिया है एवं खाते में नाम दर्ज हो जाने से नाजायज लाभ उठाने की मंशा से उक्त भूमि को बेचान करने पर आमादा होने पर इस तथ्य की जानकारी अपीलांटस को हुई। तब पटवारी हल्का से दिनांक 6.7.2015 को नामान्तरकरण खुल जाने की जानकारी

सत्य प्रतिलिपि
13.5.16
सहायक कोषाधिकारी
बून्दी (राज०)

जिला कलेक्टर; बून्दी